राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
संघ का मंत्रिपरिषद
महान्यायवादी नियंत्रक
महालेखापरीक्षक

संघ की कार्यपालिका

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

संघीय मंत्रिपरिषद- Union Council of Ministers

अनु 74 - राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद् होगा। There shall be a Council of Ministers of the Union to advise and aid the President.

मंत्री परिषद् की सलाह मानाने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा - 42 वा CAA 1976
The President shall be bound to accept the advice of the Council of Ministers - 42nd CAA 1976

संविधान संशोधन अधिनियम — pm- इन्दिरा गांधी

मंत्री परिषद् की सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकता है। - 44 वा CAA 1978 .The President may send the advice of the Council of Ministers back to the House for reconsideration. - 44th CAA 1978

अनु 75 - मंत्रिपरिषद् का गठन - Formation of the Council of Ministers -

(1). प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जायेगा। The Prime Minister shall be appointed by the President.

बहुमत दल का नेता ही भारत का प्रधान मंत्री होगा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा। The leader of the majority party shall be the Prime Minister of India. Other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

(2) मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे। The ministers shall hold office during the pleasure of the President.

(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha.

(4) किसी मंत्री के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। Before a minister enters office, the President shall administer the oath of office and secrecy to him.

(4) किसी मंत्री के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। Before a minister enters office, the President shall administer the oath of office and secrecy to him.

मंत्री बनने की योग्यता – Qualifications for becoming a minister -

1. दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो। Must be a member of either of the two Houses. → लोकसभा / राज्यसभा

2. बिना किसी सदन के सदस्यता के भी मंत्री पद धारण कर सकते है , कोई मंत्री जो लगातार छह महीने की किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। Can hold ministerial office without being a member of either House. Any minister who is not a member of either House of Parliament for any period of six consecutive months shall cease to be a minister at the expiration of that period.

मंत्री परिषद् की संरचना - 3 प्रकार के मंत्री है।
Composition of Council of Ministers - There are 3 types of ministers.

1. कैबिनेट मंत्री (प्रधान मंत्री सहित) Cabinet Minister (including Prime Minister)
2. उप मंत्री Deputy Minister
3. राज्य मंत्री Minister of State

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार Minister of State with Independent

मत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। The total number of ministers in the Council of Ministers, including the Prime Minister, shall not exceed fifteen percent of the members of the Lok Sabha.

अनु 78 - प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तब्य - संघ के कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्य संबंधित किसी भी मंत्री परिषद् के निर्णय से अवगत करवा सकते है। Duties of the Prime Minister to the President - Can inform the President of any decision of the Council of Ministers relating to the executive or administrative work of the Union.

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING